

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

नामा पिता हजारी चमार निवासी खरुणा

बनाम

कल्याण पिता गोपी निवासी खरुणा बौरह

किस्म मुकदमा नं. पत्र 111, 128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 60 /2024

गाथीख हजम	हजम या कायवाही मय इनिशियल्स अज	नगर व गाथीख अहकाम जो हजम की गाथीख में जारी हूँ
-----------	--------------------------------	--

03-04-24

प्राधान्य पत्र सिंगी से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राथी ने जरिये अभिभाषक प्राधान्य पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि आम खरुणा प.ह. टिठोडा आरजी सं. 20/14 कुल कितना 01 रकबा 1.0800 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्राथीगत उक्त वर्तित कृषि आरजी के पक्षी है। अप्राथीगत कारण पत्थरवाही कराये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आरजी की पत्थरवाही के आदेश प्रदान किये जावे। प्राधान्य पत्र की ताईद में प्राथी का शपथ पत्र संलग्न है।

भैंने पत्रवाली का अवलोकन किया संयुक्त अभिभाषक/प्राथी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रवाली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी पत्थरवाही हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्राथी द्वारा अप्राथीगत से सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरवाही किया जाना उचित समझता है। आम खरुणा प.ह. टिठोडा आरजी सं. 20/14 कुल कितना 01 रकबा 1.0800 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षी की उपस्थिति में पत्थरवाही करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण खर्ची को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्राथी भौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरवाही के दौरान किसी भी पक्ष के कर्ज को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरवाही के आदेश दिये जाते हैं।

पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांकरीडर/2024/60/2024

दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प.सं. 60 / 2024 अनवान नन्दा पिता हजारि चमार निवासी खेरुणा ब्रजाम कल्याण पिता गोपी निवासी खेरुणा, धन्ना पिता देवा खटीक निवासी खेरुणा, भेरु पिता देवा खटीक निवासी खेरुणा, पप्पू पिता लादू गुर्जर निवासी टिठोडा, जगदीश पिता लादू गुर्जर निवासी टिठोडा, धन्नालाल पिता मथुरा चमार निवासी टिठोडा, रामराय पिता मथुरा चमार निवासी टिठोडा, विष्णु पिता प्रहलाद चमार निवासी टिठोडा तहसीलदार जहाजपुरकी पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम खेरुणा प.ह. टिठोडा आराजी सं. 20/14 कुल कित्ता 01 रकबा 1.0800 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक खजुरी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा